



मुख्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110002

ई-मेल: hq@esic.nic.in,

वेबसाइट: www.esic.nic.in

संख्या: ए-49/11/1/2012-रा.भा.

दिनांक: 27.09.2013

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक/ निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक ।
2. निदेशक(चिकित्सा)दिल्ली/नोएडा/के.के.नगर ।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल ।
4. वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त ।
क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय/निदेशालय/अस्पताल ।
राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।

विषय: राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत कार्यालय को अधिसूचित करवाए जाने के संबंध में ।

महोदय,

दिनांक 05-06 जुलाई, 2013 के दौरान कोलकाता में आयोजित 24वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में लिए गए निर्णयानुसार जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत से अधिक कार्मिक हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, उन्हें राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित करवाया जाना आवश्यक है । अतः उक्त शर्त को पूरा करने वाले कार्यालय इस संबंध में अपना प्रस्ताव मुख्यालय भिजवाएं जिससे उन्हें अधिसूचित करवाए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा सके ।

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबंधन.....
Website Contents Management.....
साथी सं./Diary No. 552.....
दिनांक/Date..... 27/09/13

भवदीय,

(डॉ.पन्ना प्रसाद) 27.09.2013

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट में डालने के लिए।